

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

—: प्रेस-नोट :-

दिनांक: 05.05.2026

आयोग द्वारा कनिष्ठ विधि अधिकारी प्रतियोगी परीक्षा, 2025 (जयपुर विकास प्राधिकरण) का आयोजन दिनांक 26.07.2026 व 27.07.2026 को किया जा रहा है।

उक्त परीक्षा हेतु दिनांक 06.05.2026 से 12.05.2026 तक अभ्यर्थी का नाम, फोटो, पिता के नाम, जन्म तिथि व लिंग के अतिरिक्त अन्य संशोधन ऑनलाईन करने का अवसर प्रदान किया जा रहा है। संशोधन चाहने वाले अभ्यर्थी ई-मित्र/ऑनलाईन बैंकिंग के माध्यम से रू. 500/- का शुल्क जमा कराते हुए आयोग के ऑनलाईन पोर्टल <https://rpsc.rajasthan.gov.in> पर उपलब्ध Apply Online Link अथवा SSO Portal से Login कर Citizen Apps (G2C) में उपलब्ध Recruitment Portal का चयन कर संबंधित परीक्षा के आवेदन-पत्र में ऑनलाईन संशोधन कर सकते हैं।

उक्त परीक्षा हेतु केवल ऑनलाईन संशोधन के विकल्प का ही प्रयोग करें। ऑफलाईन संशोधन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। उपरोक्त ऑनलाईन संशोधन का अवसर अभ्यर्थियों के हितार्थ सुविधामात्र है। संशोधन परीक्षा हेतु जारी विज्ञापन में उल्लेखित पात्रता की शर्तों के अनुरूप ही मान्य होंगे। विज्ञापन की शर्तें पूर्वानुसार ही रहेंगी। उपरोक्त संशोधन के संबंध में किसी प्रकार की तकनीकी कठिनाई होने पर recruitmenthelpdesk@rajasthan.gov.in पर ई-मेल से अथवा फोन नं. 9352323625 व 7340557555 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

कार्मिक (क-2) विभाग द्वारा जारी परिपत्र के क्रम में एक वित्तीय वर्ष में आयोजित की गयी किन्ही 02 परीक्षाओं में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों की ओ.टी.आर. (ONE TIME REGISTRATION) सुविधा प्रतिबंधित (BLOCK) की जायेगी, जिसके तहत किन्हीं 02 परीक्षाओं में अनुपस्थित रहने पर राशि रूपये 750/- एवं तत्पश्चात् पुनः उसी वित्तीय वर्ष की 02 और परीक्षाओं में अनुपस्थित होने पर राशि रूपये 1500/- के भुगतान उपरांत ही उक्त सुविधा पुनः बहाल (UNBLOCK) की जायेगी। अतः ऐसे अभ्यर्थी जो किन्ही कारणों से परीक्षा देने के इच्छुक नहीं हैं, वे दिनांक 06.05.2026 से 12.05.2026 तक SSO Portal पर Login कर Recruitment Portal का चयन कर My Recruitment Section के अन्तर्गत सम्बन्धित परीक्षा के समक्ष उपलब्ध Withdraw button पर क्लिक कर अपना ऑनलाईन आवेदन-पत्र प्रत्याहरित (Withdraw) कर सकते हैं।

साथ ही असत्य एवं गलत सूचना के आधार पर आवेदन करना तथा अर्हता नहीं होने पर भी उसे प्रत्याहरित नहीं किया जाना भारतीय न्याय संहिता की धारा 217 के तहत दण्डनीय अपराध है। ऐसे अभ्यर्थी को कालान्तर में काउन्सलिंग/पात्रता जांच/साक्षात्कार के दौरान अपात्र पाये जाने पर आगामी एक वर्ष की अवधि के लिए भर्ती परीक्षाओं से विवर्जित (DEBAR) भी किया जाएगा। अतः ऐसे अभ्यर्थी जो विज्ञापन के अनुसार अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता/अर्हता धारित नहीं करते हैं, वे दिनांक 06.05.2026 से 12.05.2026 तक अपना ऑनलाईन आवेदन-पत्र प्रत्याहरित (Withdraw) कर लें।

(रामनिवास मेहता)
सचिव